न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

राहुल यादव बनाम कालूराम यादव

वाद संख्या– 02 / 178 / 2023

18.10.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की कब्जे–काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या 444 खसरा नम्बर 1050 / 822 / 0.02, 1052 / 823 / 0.07, 772 / 0.35 है0 वाके ग्राम थाना राजा जी तहसील राजगढ़ जिला अलवर को रहन बय आदि किसी भी प्रकार से मुंतकिल न करें और न कोई मुंतकिली का दस्तावेज तहरीर पंजीकृत करावे और न ही प्रार्थी के साथ उसके हिस्सेनुसार उपयोग–उपभोग में झगडा फसाद करें तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 01.12.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खाता संख्या 444 खसरा नम्बर 1050 / 822 / 0.02, 1052 / 823 / 0.07, 772 / 0.35 है0 वाके ग्राम थाना राजा जी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में आगामी तारीख पेशी तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 01.12.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

12 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20.3.24 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
10/9/25 [illegible] अभिभाषक हड़ताल से कार्य स्थगित किया है। दिनांक 03/11/25 को पेश हो। SDO.	
03/11/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप. मूलवाद सं. 1/187/23 O 9 R 5 CPC में खारीज होने के कारण प्रा.पत्र 212 भी O 9 R 5 CPC में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद संलग्न होकर जमा हो। [signature]	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	20/2/25 पत्रावली पेश। वकीलवादी उप.। तामील रशीद प्रति. 1 2 2 9 तलबी प्रति 3 हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर दि. 17/3/25 को पेश हो। अन्यथा पत्रावली 09 R 5 CPC मे खारीज समझा जावे। SDO 10/9/25 अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित किया है। दिनांक 03/11/25 को पेश हो। S.D.O. 03/11/25 पत्रावली पेश। वकीलवादी उप। वकील वादी को दर्ज मे कई अवसर देने के बाद भी तामील नही कराई गई है। इसलिए दावा वादी 09 R 5 CPC मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद पुर्ति जमा रिकार्ड हो। SDO